Ekgkjkt lalkj pUn Lekjd jktdh; egkfo|ky; Fkqjy] rglhy ikyeiqj] mi rglhy Fkqjy] ftyk dkaxM+k] fgekpy izns'k ds Nk= fuf/k ys[kksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 09-11-2005 ls 31-3-12

Hkkx&,d

1 ikjfEHkd%&

प्रधान सचिव (षिक्षा) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या EDN-A-KHU(16)-2/2005 (Thural) दिनांक 09.11.2005 के अन्तर्गत महाराजा संसार चन्द मैमोरियल कालेज, थुरल जिला कांगड़ा का अधिग्रहण किया गया। महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का यह प्रथम अंकेक्षण है।

2 महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों (अवधि 09.11.05 से 31.3.12 तक) का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, सर्व श्री राजवीर सिंह, (अ0अ0) तथा श्री नरेन्द्र कुमार, (आ0स0) द्वारा दिनांक 23.8.12 से 03.9.12 तक के दौरान थुरल में किया गया। माह 11/05, 08/06, 08/07, 01/09, 12/09, 07/10 व 06/2011 आय तथा माह 11/05, 11/06, 03/08, 10/08, 07/09, 12/10 व 03/2012 व्यय के निधि लेखों का चयन विस्तृत जॉच हेतु किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत/उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत/उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

vads{k.k vof/k ds nkSjku egkfo|ky; esa fuEu iz/kkukpk;ksZa us vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ds :i esa dk;Z fd;k%&

Ø0la0	iz/kkukpk;Z dk uke	dk;Z dh vof/k
1	डा. जगरूप कटोच	09.11.05 से 31.3.06 (GIA)
2	प्रो0 सरिता गुप्ता	29.04.06 से 25.06.06 तक
3	डा0डी0आर0 चौहान	26.6.06 से 31.7.07 तक
4	डा0 प्रकाष ठाकुर	01.8.07 से 30.9.07 तक
5	प्रो0 एन0डी0 धरवाल	01.10.07 से 09.07.08 तक
6	डा0 पी0एस0पंवार	09.07.08 से 08.05.10 तक

7	प्रो0 अलका बैल्स	09.05.10 से 26.5.11 तक
8	डा0 भुवन प्रकाष षर्मा	27.5.11 से लगातार

3 vads{k.k 'kqYd%&

महाविद्यालय के निधि लेखों (अवधिा 09.11.05 से 31.3.12 तक) का अंकेक्षण षुल्क वार्षिक प्राप्तियों के आधार पर ₹28000/–बनता है, जिसकी गणना विवरण निम्न प्रकार हैः–

o"kZ	fuf/k;ksa ls lEcfU/kr izkfIr;ka	dqy izkfIr;ka ₹ esa	vads{k.k 'kqYd ₹ esa
2005–06	39361	39361	4000
2006–07	84567	84567	4000
2007–08	54470	54470	4000
2008–09	62745	62745	4000
2009–10	69571	69571	4000
2010–11	112294	112294	4000
2011–12	109651	109651	4000
		dqy vads{k.k 'kqYd	₹28000

उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण षुल्क की राषि ₹28000/–को राजकीय कोष मे ंजमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्राधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0एस0 (आडिट) 2012/122 दिनांक 29.8.12 द्वारा अनुरोध किया गया। प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उक्त राषि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 513635 दिनांक 30.8.12 द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा षिमला–9 को भेज दिया गया।

4 foÙkh; fLFkfr%&

छात्र निधियों के रख–रखाव हेतु कुल आठ रोकड़ वहियों को प्रयोग में लाया गया था, जिनकी अलग–2 वित्तीय स्थिति का वर्णन इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "क" पृ0 1 से 8 पर दिया गया है।

5 Nk= fuf/k;k d y[kk dk mfpr j[k&j[kko u dju ckj&

जांच के दौरान पाया गया कि कुछ एक निधियों को संकलित करके, अलग–अलग रोकड़ वहियों का प्रयोग किया गया था। उदाहरण के लिये, पहचान पत्र निधि, पत्रिका निधि, प्रविवरण तथा गृह परीक्षा निधि को संकलित करके प्रिटिंग फण्ड, नामक रोकड़ वही का प्रयोग किया गया था जिससे रोकड़ वही के अवलोकन पर यह स्पष्ट नहीं होता कि सम्बन्धित निधि के वास्तविक आय कितनी है व व्यय कितना है। अतः सुझाव दिया जाता है कि समस्त निधियों का रख–रखाव एक ही रोकड़ वही में निधिवार वर्गीकृत करके किया जाये ताकि सम्बन्धित निधि के वास्तविक आय व व्यय की सही स्थिति स्पष्ट हो सके।

6 Nk= fuf/k l lEcfU/kr jkdM ofg;k dk ikl cd dh ifof"V;k d vk/kkj ij fy[ku ckj&

जांच के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न रोकड़ वहियों में की गई प्रविष्टियों पास बुक के आधार पर की गई थी जोकि लेखांकन के नियमों के विपरीत है। उदाहरण के लिये मैसर्ज गौतम ब्रदर्ज, हमीरपुर को उनके बिल संख्या 1292 से 1295 दिनांक 21.2.12 हेतु कुल ₹13743/–का भुगतान किताबों की खरीद हेतु वाऊचर संख्या षून्य दिनांक/माह फरवरी 2012 में किया गया, परन्तु सम्बन्धित व्यय की प्रविष्टि रोकड़ वही में माह मार्च 2012 में बैंक से राषि आहरित करवाने उपरान्त पास बुक के आधार पर की गई थी जिससे रोकड़ वही के अवलोकन पर इस तथ्य का पता नहीं चलता कि संस्था द्वारा वास्तव में किस तिथि को आय प्राप्त की गई व किस तिथि को भुगतान किया गया था। अतः महाविद्यालय प्रषासन को सुझाव दिया जाता है कि वास्तविक आय/व्यय की तिथि के आधार पर रोकड वही में प्रविष्टियों की जाये ताकि आय/व्यय की सही स्थिति का पता चल सके।

7 fcy@okÅpjk dk mfpr j[k&j[kko u dju ckj&

जॉच के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न छात्र निधियों से भुगतान की गई राषियों से सम्बन्धित बिल/वाऊचरों पर वाऊचर क्रम संख्या अंकित नहीं की गई थी जिस कारण अंकेक्षण कार्य में अत्याधिक असुविधा का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार स्टॉक रजिस्टर रोकड़ वही इत्यादि में भी वाऊचर संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः महाविद्यालय प्रषासन को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में समस्त बिल/वाऊचरों व अन्य अभिलेखों स्टॉक रजिस्टर, रोकड़ वही इत्यादि पर वाऊचर क्रम संख्या अंकित की जानी सुनिष्चित की जाये ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।

8 egkfo|ky; d vf/kxg.k l iol Nk= fuf/k y[kk d j[k j[kko ckj&

हिमाचल प्रदेष सरकार के अधिसूचना संख्या EDN-A-KHA(16)-2/2008(Thural) दिनांक 09.11.2005 के अन्तर्गत महाविद्यालय का अधिग्रहण कर लिया गया है। अधिग्रहण के उपरान्त निधि लेखों का रख रखाव अलग से षुरू किया गया तथा अधिग्रहण से पूर्व निधि लेखों का रख रखाव पूर्ववत रूप में अलग से किया जाता रहा तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान अधिग्रहण से पूर्व की निधियों से व्यय भी किये जाते रहे। अधिग्रहण से पूर्व की छात्र–निधियों प्रारम्भिक एवं अन्तिम षेष का विवरण इस प्रकार से हैः–

Ø0 l0	fuf/k;k dk uke	[kkrk l0	ikjfEHkd 'k"k ¼09-11-05½₹ e	vfUre 'k"k ¼31-3-12½₹ e
1	मिश्रित निधि	1056	23951	471
2	सांस्कृतिक गतिविधि निधि	1432	18519	563
3	पुस्तकालय प्रतिभूति	1070	50257	56426
4	यूनिवर्सिटी खाता	9785	17922	04
5	खेलकूद निध	1077	1104	744

अतः महाविद्यालय प्रषासन को सुझाव दिया जाता है कि एक ही तरह की निधि के लिये अलग–2 लेखों/खातों के रख–रखाव की अपेक्षा अधिग्रहण से पूर्व एवं बाद के लेखों/खातों को संकलित किया जाये। ताकि छात्र निधि लेखों की सही वित्तीय स्थिति का पता चल सके।

9 ₹18000@& dEi;Vj ifDVdy ¼okf.kT; rFkk xf.kr½ fuf/k d :i e de olyh&

जांच के दौरान पाया गया कि हिमाचल सरकार के पत्रांक संख्या EDN-A-KHA(8)I(2001) दिनांक 01.06.10 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि (वाणिज्य तथा गणित) को षुरू किया गया है। लेकिन इस निधि की वसूली विद्यार्थियों से नहीं की गई है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार हैः–

o"k	fo|kfFk;ksa dh la[;k		dqy	nj @o"k	jkf'k ₹ esa
	okf.kT; I, II, III	Xkf.kr I,II,III			
2010—11	44	42	07	49	180 ⁄ वर्ष
2011—12					8820
				;ksx	18000

अतः उपरोक्त वर्णित राषि को वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा ₹18000 ⁄ —की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 iqjkus lekpkj i=ksa dh fcØh ls izkIr vk; ckjs&

अभिलेख की जांच पर पाया गया कि महाविद्यालय प्रषासन द्वारा पुस्तकालय प्रयोग हेतु चार प्रकार के दैनिक समाचार पत्रों का क्रय मिश्रित निधि से किया जा रहा है। जिनकी रददी की बिक्री दिनांक 28.11.08 तक की गई दर्षाई गई है लेकिन उक्त तिथि के उपरान्त दिनांक 31.3.12 तक पुराने समाचार पत्रों की रददी की बिक्री से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः आगामी अंकेक्षण के दौरान वान्छित अभिलेख प्रस्तुत किये जाये।

fefJr fuf/k&

11 ₹17324@&fnukad 15-9-09 dk fofo/k [kkrs dks _.k iznku djus ds lEcU/k esa&

जॉच के दौरान पाया गया कि ₹17324 ⁄ —दिनांक 15.9.09 का मिश्रित निधि खाते (खाता सं0 1056) से विधि खाते (खाता सं.—6088) को ऋण के रूप में प्रदान किये गये। लेकिन दिनांक 31.3.12 तक उक्त ऋण को मिश्रित निधि खाते में वापिस नहीं किया गया है। महाविद्यालय प्रषासन द्वारा यह स्पष्ट भी नहीं किया गया कि उक्त ऋण किस उद्देष्य के लिये लिया गया था। लगभग 2½ वर्ष तक उक्त ऋण की राषि को वापिस न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। उक्त ऋण की सम्पूर्ण राषि को वापिस मिश्रित निधि खाते में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए।

12 ₹24269@& vfxze Hkqxrku dk lek;kstu@ifrifrZ u djus ckjs&

जॉच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न राषियॉ अग्रिम के रूप में भुगतान की गई है लेकिन उन अग्रिम भुगतानो तथा उनके समायोजनों की प्रविष्टियों का रख–रखाव अग्रिम रजिस्टर पर नहीं किया गया है। जिनमें से कुछ अग्रिम भुगतानों का विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Ø0 l0	fcy l0 fnukd	Dk;@lok dh idfr	ftruh jkf'k vfxze dh :i esa Hkqxrku dh ₹ esa
1	426535 7.8.09	टेलिफोन बिल	825
2	4809197 4.2.10	टेलिफोन बिल	2824
3	3674141 20.4.11	बिजली बिल	358
4	3674143 20.4.11	बिजली बिल	265
5	3674142 20.4.11	बिजली बिल	2858
6	63132703 17.4.11	टेलिफोन बिल	499
7	01001342 17.8.11	बिजली बिल	150
8	01001343 17.8.11	बिजली बिल	1659
9	01001344 17.8.11	बिजली बिल	292
10	105375 24.9.11	पानी बिल	1820
11	1018038207	टेलिफोन बिल	469
12	428 30.3.09	फिटिंग	1000
13	वा0. सं0 2 दिनांक 15. 12.10	NSS हेतु अग्रिम	11250

;kx	24269

उपरोक्त वर्णित अग्रिम भुगतानों तथा अन्य समस्त अग्रिमों जो अंकेक्षण अवधि के दौरान भुगतान किये गये है, का रख रखाव अग्रिम रजिस्टर पर न करने के बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये, महाविद्यालय प्रषासन द्वारा आवष्यक अभिलेख तैयार करके यह भी सुनिष्चित किया जाये कि उक्त अग्रिम भुगतानों तथा अन्य समस्त अग्रिम भुगतानों का समायोजन कर दिया गया है या नहीं। कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। महाविद्यालय प्रषासन को यह परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में अग्रिमों के रजिस्टर का रख रखाव नियमित रूप से किया जाना सुनिष्चित किया जाये ताकि किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन/अनियमितता की सम्भावना को रोका जा सके।

13 Nk= fuf/k;ksa esa ls dk;kZy; O;; djus ckjs&

चयनित महीनों के व्यय बिलों की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में कार्यालय खर्चों का भुगतान, हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेष 1973 खण्ड–II नियम 42.2 क प्रावधानों के विपरीत विभिन्न छात्र निधियों से किया गया था, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

Ø0 l0	ok0 l0 fnukad	Hkqxrku dk fooj.k	jkf'k ₹ esa	ftl fuf/k ls Hkqxrku fd;k
1	षून्य 17.10.08	बिजली बिल का भुगतान	1499	A.F
2	षून्य 17.10.08	टेलीफोन बिल का भुगतान	730	A.F
3	षून्य 25.7.09	रवर की मोहरों की खरीद (बिल नं0 342 दिनांक 3.7.09 मै0 मानव इन्टरप्राईजिज थुरल)	515	A.F
4	षून्य 1.7.09	कार्यालय में बिजली की फिटिंग (बिल नं0 428 दिनांक 30.6.09 मै0 चौधरी	2140	A.F

		इलैक्ट्रिक वर्कस थुरल)		
5	षून्य 30.7.09	स्ट्रीट लाईट की रिपेयर (बिल नं0 षून्य दिनांक 1.7.09 मै0 राना बेल्डिग वर्कस थुरल)	630	A.F
6	षून्य 27.3.08	फोटोस्टेट मषीन की मुरम्मत (बिल सं0 334 दिनांक 25.3.08) मै0 जी0रोक्स कोपीर थुरल)	750	A.F
7	षून्य 27.3.08	कार्यालय प्रयोग हेतु बिजली की तार (बिल नं0 540 दिनांक 17.11.07 मै0 मुकेष इलैक्ट्रोनिक्स पालमपुर)	154	A.F
8	षून्य 27.3.08	2 नं0 टार्च की खरीद एवं बिजली की फिटिंग (बिल नं0 716 दिनांक 11.3.08 मै0 मुकेष इलैक्ट्रोनिक्स पालमपुर)	800	A.F
9	षून्य 10/09	बिजली के फिटिंग (कार्यालय में) (बिल नं0 1 दिनांक 22.10.09 मै0 मुकेष इलैक्ट्रोनिक्स पालमपुर)	773	A.F

इस तरह के समस्त प्रकरणों की छानबीन संस्था स्त्तर पर की जाये व नियमों के विपरीत किये गये भुगतानों की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में वापिस जमा की जानी सुनिष्चित की जायें व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 ;fuofl Vh Qhl%&

₹108713@&vof/k 09-11-05 ls 15-10-07 rd ;fuofl Vh 'kYd [kkrs ls fudyokus ckjs%&

जॉच के दौरान पाया गया कि ₹108713/–अवधि 09.11.05 से 15.10.07 तक यूनिवर्सिटी षुल्क खाते (खाता सं0 9785) से आहरित किये गये। लेकिन उक्त राषि किस उद्देष्य के लिये निकलवाई गई, से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप उक्त किये गए भुगतानों की पुष्टि नहीं की जा सकी। आहरित की गई राषि का विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार है:–

Ø0 l0	fnukd	pd l0	yu nu dh idfr	jkf'k ₹ e
1	16.11.05	409829	नकद	645
2	16.11.05	409828	नकद	5000
3	17.11.05	409826	नकद	7500
4	21.11.05	409830	नकद	976
5	21.11.05	409831	नकद	22
6	23.11.05	409832	नकद	3395
7	29.11.05	409833	नकद	2219
8	08.12.05	409834	नकद	782
				20539
9	09.12.05	409835		250
10	14.12.05	409836		18320
11	15.12.05	409837		500
12	21.12.05	409838		464
13	14.01.06	409839		3454
14	16.01.06	409840		266
15	24.01.06	447481		627
16	04.02.06	447482		250
17	22.02.06	447483		458
18	27.2.06	447484		88
19	01.03.06	447485		1718
20	18.5.06	447486		22500
21	29.5.06	447487		1449
22	26.7.06	447490		12830
23	15.10.07	Dft		25000
			;kx	108713

उपरोक्त सम्बन्धित समस्त बिल/वाऊचरों व अन्य अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये तथा किये गये समस्त व्ययों/भुगतानों की पुष्टि करवाई जानी सुनिष्चित की जाये।

15 vfHkys[k izLrqr u djus ckjs&

चयनित माह 11/05 के आय व व्यय से सम्बन्धित अभिलेख को आवष्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे मौखिक रूप में व अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123 दिनांक 31.8.12 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक वांन्छित अभिलेख, अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिस कारण उपरोक्त महीने में छात्र निधियो से प्राप्त आय व व्यय की सत्यतता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांन्छित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना अपने आप मे ही एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। अभिलेख अंकेक्षण के समय अंकेक्षणाधीन प्रस्तुत न करने से सम्बन्धित प्रकरण आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विषेष रूप से लाया जाता है।

16 egkfo|ky; esa if=dk dk u Niok;k tkuk&

अभिलेख की जॉच पर पाया गया कि महाविद्यालय में कभी भी पत्रिका नहीं छपवाई गई है, जबकि हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय षिक्षा संहिता के उक्त निधि के नियमानुसार महाविद्यालय में पत्रिका का अनिवार्य रूप से छपवाया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके महाविद्यालय में पत्रिका न छपवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। भविष्य में प्रत्येक वर्ष पत्रिका का अनिवार्य रूप से छपवाया जाना सुनिष्चित किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

17 vU;&

¼d½ fuf/k;ksa ds LVkWd esa iMs lkeku dk mfpr j[k j[kko u djus ckjs&

जॉच के दौरान पाया गया कि विभिन्न निधियों से क्रय किये गये सामान की विभिन्न मदों की प्रविष्टियॉ स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर कर दी गई है तथा न तो विभिन्न खातों/मदों का अन्तिम षेष प्राप्ति ए निर्गमन के आधार पर निकाला गया है। निम्न उदाहरण द्वारा दर्षाया गया हैः–

fcy la0 fnukad	vkiwfrZdrkZ dk uke	i0	ek=k	nj	jkf'k
11993	मै0 गोयका ग्राफिक्स	05	500 नं0	9.50	4750

01.8.09	पालमपुर			
		500 नं0	10.00	5000
			d|y	9750

नियमानुसार प्रत्येक मद के लिये अलग–2 खाता खोला जाना तथा उन खातों का अन्तिम षेष निकाला जाना अपेक्षित है। स्टॉक लेखा नियमानुसार उचित प्रकार से तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसे अविलम्ब नियमानुसार तैयार किया जाए। भविष्य में निधियों के स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव उचित ढ़ंग से नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाना सुनिष्चित किया जाये। की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

¼[k½ LVkd dk iR;{k lR;kiu u fd;k tkuk%&

अभिलेख की जॉच पर पाया गया कि महाविद्यालय में निधियों के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verification) कभी नहीं की गई है जबकि हिमाचल प्रदेष वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः निमयों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। भविष्य मे प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना भी सुनिष्चित की जाये।

18 y?k| vkifŸk fooj.kh%& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 fu"d"k%& लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(ii) 495/2012 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i|thd`r 1. प्राचार्य, महाराजा संसार चन्द स्मारक राजकीय महाविद्यालय, थुरल, तहसील पालमपुर, उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें ।

2 प्रधान सचिव (षिक्षा) हिमाचल प्रदेष षिमला–171002

3 निदेषक, षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.

4 उप निदेषक, षिक्षा विभाग, जिला कांगड़ा स्थित धर्मषाला

5 श्री राजवीर सिंह, अ0अ0 द्वारा..

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.